नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 10 Jul 2025 - 10p08
epaper.navabharat.news

छत्तीसगढ़ में मराठी को 'भाषिक अल्पसंख्यक' का दर्जा देने याचिका

हाईकोर्ट ने कहा- तीन महीने के भीतर निर्णय ले सरकार

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ में मराठी भाषा को 'भाषिक अल्पसंख्यक' का दर्जा देने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में तीन महीने के भीतर निर्णय ले। यह आदेश बिलासपुर निवासी डॉ. सचिन अशोक काले की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है।

डॉ. काले ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मराठी भाषा को भाषिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतिगत मामलों में वह सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि कोई नागरिक संविधान के तहत अधिकार मांगता है, तो उस पर सरकार को प्रतिक्रिया देनी होगी। याचिका के मुताबिक डा काले ने 22 अप्रैल 2023 और 27 नवंबर 2024 को राज्य सरकार के संबंधित विभागों को आवेदन देकर इस विषय में मांग रखी थी। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कर्नाटक, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु ने मराठी, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी किया जाए।

कोर्ट ने याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हुए प्रतिनिधित्व पत्र दिया है, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह उस पर विचार करे।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति दो सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी को सौंपनी होगी और सरकारी वकील को आदेश की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को देना होगा। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि निजी स्वार्थ से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि मराठी एक प्रमुख भाषा है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए इसे लघु भाषिक अल्पसंख्यक घोषित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसा निर्णय लेना एक नीतिगत मामला है और अदालत इसमें आदेश नहीं दे सकती।

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

निविदा आमंत्रण सूचना

युगे युगीन भारत संग्रहालय, नई दिल्ली के लिए व्यापक संग्रहालय डिजाइन (वास्तुकला और प्रदर्शनी डिजाइन) सेवाओं के लिए डिजाइन सलाहकार के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध 09 जुलाई 2025 को भारत सरकार के